न्यायालय : अपर समाहर्त्ता–सह–आरबिट्रेटर, रामगढ़।

वाद का प्रकार :– भू–अर्जन अपील वाद
वाद सं0 :– 61/2015–16
वादी :– सुरेश महतो प्रतिवादी :– एन0एच0ए0आई0–23

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

1/09/2023

प्रस्तुत वाद संख्या–61/15–16, मौजा–सोसोखुर्द, खाता सं0–17, प्लॉट सं0–326/1, 364/1, कुल रकवा–0.10 एकड़ में एन0एच–23 के चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपील वाद सं0–65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 177, 178, 179/2015–16 समान प्रकृति की है। अतः इन वादों की सुनवाई एक साथ करने का अनुरोध किया गया है। जिसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त वादों के अपीलार्थी का नाम एवं भूमि की विवरणी निम्न है :–

क्रम सं0	वाद सं0	अपीलार्थी का नाम	प्लॉट सं0	रकवा
1	61/2015–16	सुरेश महतो	326/1, 364/1	0.10
2	65/2015–16	प्यारेलाल महतो	250	0.07
3	66/2015–16	सोहनलाल महतो	295/2	0.15
4	67/2015–16	मुरली महतो	328	0.14
5	68/2015–16	धखुल महतो	317	0.03
6	69/2015–16	शालीग्राम महतो	291/1	0.08
7	70/2015–16	मोहन महतो	262	0.10
8	71/2015–16	त्रिभुवन महतो	334	0.03
9	72/2015–16	त्रिभुवन महतो	259	0.27
10	73/2015–16	त्रिभुवन महतो	333	0.11
11	74/2015–16	त्रिभुवन महतो	295/1	0.15
12	76/2015–16	मदन महतो	260	0.13
13	77/2015–16	नेवालाल महतो	331	0.04
14	78/2015–16	केदारनाथ महतो	298/2	0.04 1/2
15	79/2015–16	मोहन महतो	317/2	0.03
16	81/2015–16	धुमा महतो	317	0.06
17	82/2015–16	धुमा महतो	298/1	0.06
18	84/2015–16	चैता महतो	369	0.01
19	85/2015–16	श्याम सुन्दर महतो	249/2	0.09
20	177/2015–16	संजय कुमार महतो	249/3	0.08
21	178/2015–16	मुरली महतो	370/2	0.04
22	179/2015–16	धखुल महतो	326/2	0.05

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि एन0एच–23 से बिल्कुल सटा हुआ है। जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा भूमि को कृषि भूमि मानते हुए मुआवजा का भुगतान किया गया है, जबकि भूमि की प्रकृति आवासीय प्रकृति की है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत् भूमि के लिए आवासीय भूमि की दर पर मुआवजा भुगतान का अनुरोध किया गया है।

NH-23 के प्राधिकृत अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–सोसोखुर्द के एन0एच–23 चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा भू–अर्जन अधिनियम के अधिकतम विक्रय मुल्य के औसत के आधार पर किया गया है, जो निबंधन के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक है। अपीलार्थीगण की माँग अनुचित एवं वैध नहीं है। निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त 30% सोलेशियम तथा 12% प्रतिवर्ष दर से ब्याज के साथ मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा उचित जाँचोपरांत राशि का भुगतान किया गया है। राशि भुगतान में रैयतों के सभी हितों का ख्याल रखा गया है। अपीलार्थी का आवेदन खारीज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख के अनशीलन से स्पष्ट है कि जिला भू–अर्जन कार्यालय द्वारा प्रश्नगत् भूमि का मुआवजा का भुगतान कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर के अनुसार किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवासीय भूमि मानते हुए मुआवजा भुगतान का अनुरोध किया गया है। जबकि अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। NH-23 के प्राधिकृत अधिवक्ता का कहना है कि निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त

30% सोलेशियम तथा 12% प्रतिवर्ष दर से ब्याज के साथ मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा उचित जाँचोपरांत राशि का भुगतान किया गया है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, लिखित अभिकथन के विवेचन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें प्रमाणित हो सके कि प्रश्नगत् भूमि आवासीय कोटी की है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश वाद सं0–65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 177, 178, 179/2015–16 के लिए भी प्रभावी होगा। आदेश की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ एवं परियोजना निदेशक, NHAI-23 को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।